



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2018/चैत्र 1, 1940

No. 1194]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2018/CHAITRA 1, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

का.आ. 1322(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ), तारीख 23.09.2014 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 के 0.000 कि.मी. से 52.200 कि.मी. (सितारगंज-टनकपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2014, सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08 जून, 2016, सा.का.नि. 1114 (अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017, द्वारा संशोधन किए गए हैं;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क) दरों का अवधारण एवं संग्रहण (नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उत्तराखण्ड राज्य में खटीमा बाइपास सेक्शन डिजाइन 24.607 कि.मी. से 32.918 कि.मी. (विद्यमान 24.143 कि.मी. से 32.867 कि.मी. जिसकी डिजाइन लम्बाई 8.311 कि.मी. है) को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 125 के 0.000 कि.मी. (रारा-74 पर विद्यमान 254.600 कि.मी.) से 52.200 कि.मी. (रारा-125 पर विद्यमान 52.035 कि.मी.) तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" कहा गया है) पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 37.977 कि.मी. के उपयोग के लिए स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के बाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60% की दर पर और दस करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाले बाइपासों जिनकी लम्बाई 5.912 कि.मी. है, हेतु आधार दरों के 90% की दर पर शुल्क उद्धृति किया जाएगा और प्राधिकरण

को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से इस अधिसूचना के वास्तविक कार्यान्वयन अथवा राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख पर और से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से 6 धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	प्रभावित सेक्शन (डिजाइन कि.मी.)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
24.150 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 23.726 कि.मी. पर) उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड जिले में बानुशी गांव के निकट	24.607 कि.मी. से 32.918 कि.मी. तक को छोड़कर 0.000 कि.मी. से 52.200 कि.मी. तक	37.977 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास को छोड़कर)	ऊपर सारिणी 1 में उल्लिखित दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर उपर्युक्त सारिणी 1 में उल्लिखित आधार दर पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
24.150 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 23.726 कि.मी. पर) उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड जिले में बानुशी गांव के निकट	शून्य	शून्य	ऊपर सारिणी 1 में उल्लिखित दरों का 60%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रूपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर (प्लाजाओं), ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु (बाइपासों), निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का (प्लाजाओं) (चैनेज) अवस्थान	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	बाइपास का नाम	पर आरंभ	पर मिलते हुए		
24.150 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 23.726 कि.मी. पर) उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड जिले में बानुशी गांव के निकट	नानकमट्टा बाइपास	10.228	16.140	5.912	ऊपर सारिणी 1 में उल्लिखित दरों का 90%

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रूपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दोतिहाई-	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियमों के अधीन ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त वाहनों की श्रेणी-, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 338.54 करोड़ रूपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनउपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने-, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा। दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/2017-18/जीसी रूद्रपुर (सितारगंज-टनकपुर)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2018

S.O. 1322(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2495(E) dated 23.09.2014 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 52.200 (Sitarganj- Tanakpur Section) of National Highway No. 125 in the State of Uttarakhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 19th December, 2014, G.S.R. 220 (E) dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E) dated 08th June, 2016 G.S.R. 1114 (E) dated 02nd December, 2016 & G.S.R. 248 (E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for the use of sections of national highway¹s, permanent bridge, bypasses, tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the said “Rules”), the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Two lane with paved shoulders Sitarganj-Tanakpur section from km 0.00 (Existing km 254.600 on NH-74) to km 52.200 (Existing km 52.035 on NH -125) on NH 125 in the state of Uttarakhand excluding Khatima Bypass section from design km 24.607 to km 32.918 (existing km 24.143 to km 32.867 having design length 8.311 km) (hereinafter referred to as the “said section’), on the Type of Vehicles specified in column (1) at 60% of the rates specified in columns (2) (hereinafter referred to as “base rate”) of Table 1 below for net road length of 37.977 km and at 90% of the base rate for net length of bypasses of 5.912 km costing Rupees Ten Crore or more and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee on and from the date of actual implementation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later;

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Influence Section (design km)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 24.150 of (Existing chainage at km 23.726) near village Banushi in Dist. Udham Singh Nagar Uttarakhand	km 0.00 to km 52.200 excluding km 24.607 to km 32.918	37.977 (Excluding length of Bypass Costing > Rs. 10 Crores and structures >60m length)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 24.150 of (Existing chainage at km 23.726) near village Banushi in Dist. Udham Singh Nagar Uttarakhand	Nil	Nil	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km 24.150 of (Existing chainage at km 23.726) near village Banushi in Dist. Udham Singh Nagar Uttarakhand	Nanakmatta Bypass	10.228	16.140	5.912	90% of the base rates mentioned in Table-1 above

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 245 (Rupees Two Hundred and Forty Five only) for the year 2017-18, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of

completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 338.54 Crore. The capital costs are subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. which are yet to be completed. The final capital cost may be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/13013/CO/2017-18/GC (Rudrapur (Sitarganj-Tanakpur)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.